लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिये
प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना

भारत सरकार ने केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा किये गये असाधारण और नवप्रवर्तनकारी कार्य-निष्पादन को अभिस्वीकृति एवं मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिये "लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिये प्रधानमंत्री पुरस्कार" शुरु किया है।

योजना का उद्देश्य

2. इस योजना के अंतर्गत लोक सेवकों के उत्कृष्ट एवं अनुकरणीय कार्य निष्पादन के लिये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेमी प्रकार की ड्यूटी और जिम्मेदारियों का निर्वहन और/अथवा सामान्य रुप से कार्यक्रमों/परियोजनाओं का कार्यान्वयन पुरस्कार के लिये पात्र नहीं बनाएगा । वे पहले परियोजनाएं जिनके गुणात्मक एवं मात्रात्मक निष्कर्ष/परिणाम बहुत ही ऊंचे हैं और जिनसे अनेक नागरिकों/पणधारियों को लाभ पहुंचा हो उन पर विचार किया जा सकता है।

योजना के अंतर्गत पात्रता

3. केन्द्र और राज्य सरकारों के सभी कार्यरत अधिकारी व्यक्तिगत रुप से अथवा एक समूह या एक संगठन के रुप में पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। समूह नामांकन के अंतर्गत, समूह का आकार सामान्यत: पांच व्यक्तियों से अधिक नहीं होना चाहिए। समूह के सभी सदस्यों को नामांकित की गई पहल में सक्रिय रुप से और प्रत्यक्ष रुप से शामिल होना चाहिये।

पुरस्कार के ब्यौरे

4. वैयक्तिक, समूह और संगठन श्रेणियों के अंतर्गत अधिकतम 15 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे । इस पुरस्कार में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) एक पदक
(ii) एक स्क्रोल, और
(iii) एक नकद पुरस्कार

वैयक्तिक श्रेणी में पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपये है । समूह के मामले में कुल पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपये होगी जिसमें प्रत्येक सदस्य के लिये अधिकतम राशि 1 लाख रुपये होगी । एक संगठन के लिये पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपये होगी । पुरस्कार की इस राशि पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(17 क) (i) के अंतर्गत आयकर में छूट प्राप्त है।

नामांकन करने वाले प्राधिकरण

5. स्चयं किये गये नामांकन स्वीकार नहीं किये जाएंगे । किसी व्यक्ति अथवा अधिकारियों के किसी समूह या किसी संगठन के नामांकन केन्द्र सरकार के विभाग/मंत्रालय/राज्य सरकारों/गैर सरकारी संगठनों और अन्य पणधारियों द्वारा किये जाएंगे।

नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि पिछले वर्ष के पुरस्कारों के लिये प्रत्येक वर्ष की 31 जुलाई होगी ।

योजना के अंतर्गत नामांकन

6. नामांकन के लिये प्रस्तुत किये जाने ब्यौरों में कार्यक्रम/परियोजना/पहल की पृष्ठभूमि, इसकी प्राथमिकताएं और उद्देश्य, इसके कार्यान्वयन के लिये अपनाई गई कार्य नीतियाँ, प्रयुक्त किये गये नवप्रवर्तनकारी उपाय, कार्यान्वयन की अवधि, असाधारण उपलब्धियां और परिणामस्वरुप हुए निष्कर्ष, सकारात्मक परिवर्तन और प्रभाव, निरन्तरता तथा सबसे महत्वपूर्ण नामांकिती की भागीदारी की प्रकृति एवं भूमिका तथा उसका अंशदान का विवरण शामिल होना चाहिये ।

7. उन प्रमुख क्षेत्रों की एक उदाहरणात्मक सूची जिनके अंतर्गत पुरस्कार के लिये नामांकनों पर विचार किया जाएगा, नीचे दी गई है:-

- एक नवप्रवर्तनकारी योजना/परियोजना का कार्यान्वयन शुरु करना

- प्रणालियों में ग्राह्य सुधार लाना और संस्था निर्माण करना
- लोक प्रदायगी प्रणाली को कुशल और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना
- आपात स्थितियों जैसे कि बाढ़, भूकंप आदि में असाधारण कार्य निष्पादन ।

नामांकनों पर कार्रवाई करना

8. नामांकनों की जाँच सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की जाएगी । यह समिति अपनी ओर से भी विचारणीय पहलों को शामिल कर सकती है । इस समिति द्वारा छाँटे गए नामांकनों के लिए मौका अध्ययन भी किए जाएंगे । यह समिति अध्ययन रिपोर्टों पर भी विचार करेगी और मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में गठित शक्ति प्राप्त समिति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी ।

9. विशेषज्ञ समिति द्वारा सिफारिश किए गए नामांकनों पर शक्ति प्राप्त समिति द्वारा विचार किया जाएगा तथा यह समिति नामांकितियों को समिति के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण करने के लिए भी कह सकती है । उसके बाद शक्ति प्राप्त समिति पुरस्कारों के लिए सिफारिश किए गए अधिकारियों की सतर्कता स्थिति एवं समग्र कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के बाद प्रधानमंत्री को विचार के लिए अपनी सिफारिशें करेगी । विशेषज्ञ समिति और शक्ति प्राप्त समिति दोनों में सदस्यों का नामांकन प्रधानमंत्री के अनुमोदन से किया जाएगा ।

पुरस्कार प्रदान किया जाना

10. प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा दिवस के अवसर पर अर्थात् 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे ।